कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615 ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
फैक्स नं.: 0761-2665805 वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/भर्ती/2018-19/972 जबलपुर, दिनांक 07/03/2019

पैरामेडीकल स्टाफ (नियमित आधार पर) भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश में विभिन्न ताप एवं जल विद्युत् गृह संचालित किये जा रहे हैं, इन विद्युत उत्पादन गृहों हेतु पैरा मेडीकल संकाय में 05 फार्मासिस्ट, 02 प्रयोगशाला तकनीशियन, 02 रेडियोग्राफर, 03 ईसीजी तकनीशियन, 12 स्टाफ नर्स एवं 01 एएनएम एवं 03 ड्रेसर की आवश्यकता है| पदों की संख्या का पदवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

1- <u>रिक्तियाँ : -</u>

संकाय	पद	कुल पद				
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
पैरामेडीकल स्टाफ	फार्मासिस्ट	01	01	02	01	05
	प्रयोगशाला तकनीशियन	01	01	-	-	02
	रेडियोग्राफर	01	01	-	-	02
	ईसीजी तकनीशियन	01	01	01	-	03
	स्टाफ नर्स	03	04	04	01	12
	एएनएम	01	-	-	-	01
	ड्रेसर	01	-	01	01	03
	कुल	09	08	08	03	28

उपरोक्त विज्ञापित पदों में निम्नलिखित बैकलॉग के पद सम्मिलित हैं |

संकाय	पद	बैकलॉग पद				
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
पैरामेडीकल स्टाफ	फार्मासिस्ट	-	01	01	-	02
	प्रयोगशाला तकनीशियन	01	-	-	-	01
	स्टाफ नर्स	01	04	04		09
	कुल	02	05	05	0	12

2- **आरक्षण : -**

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षण का प्रावधान केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारकों पर ही लागू होगा ।

(ii) आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) में निहित प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(iii) उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो ।

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने माता-पिता की पिछले तीन वर्षों की आय का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति; जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है एवं उक्त विज्ञापित पदों हेतु आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा ।

इस हेतु आवेदक को ऑनलाईन जमा किए गए आवेदन पत्र के प्रिंटआउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 10 दिवस के अंदर कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नं-9, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर में जमा करना अनिवार्य होगा ।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01 जनवरी 2018 के अनुसार "मांझी" अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के व्यक्तियों को दिनांक 11.11.2005 के पश्चात उन्हें अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 454 दिनांक 17 नवंबर 2015 के अनुसार म.प्र.सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अंतर्गत महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत (33%) आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (हॉरिजॉन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) प्रदान किया जावेगा |

(viii) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

निशक्तजन हेतु आरक्षित पद:-

पद	संख्या	विवरण
ए एन एम	01	अस्थि बाधित / श्रवण बाधित
प्रयोगशाला तकनीशियन	01	अस्थि बाधित
फार्मासिस्ट	01	श्रवण बाधित
स्टाफ नर्स	02	अस्थि बाधित
ड्रेसर	01	अस्थि बाधित

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में ई.सी.जी.तकनीशियन एवं रेडियोग्राफर के पद हेतु निशक्तजन के लिए कोई पद आरक्षित नही है|

3- **न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :-**

संकाय	पद	आवश्यक अर्हता	न्यूनतम प्रतिशत
पैरामेडीकल स्टाफ	फार्मासिस्ट	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2. भेषजज्ञ (फार्मेसी) में डिप्लोमा/डिग्रीधारी होना आवश्यक है| 3. मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन आवश्यक है|	उत्तीर्ण
	प्रयोगशाला तकनीशियन	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2. प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा/ डिग्री । 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है|	उत्तीर्ण
	रेडियोग्राफर	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बंधित विषय में डिप्लोमा/डिग्री/ प्रमाण पत्र । 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है|	उत्तीर्ण
	ईसीजी तकनीशियन	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी तकनीशियन में डिप्लोमा/डिग्री । 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है|	उत्तीर्ण
	स्टाफ नर्स	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण । 2. जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षित अथवा बी.एस.सी.(नर्सिंग) होना चाहिये| 3. महाकौशल नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका होना चाहिये।	उत्तीर्ण

	एएनएम	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मध्यप्रदेश में संचालित शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केंद्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण। 3. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का जीवित पंजीयन होना चाहिए।	उत्तीर्ण
	ड्रेसर	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. पैरामेडीकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय/ चिकित्सालय से पट्टीबंधक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	उत्तीर्ण

04. <u>आयु सीमा :-</u>

क्र.	मापदण्ड	म.प्र.के मूल निवासियों के लिये आयुसीमा	म.प्र.के बाहर के निवासियों के लिये आयुसीमा
		दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में	
(i)	न्यूनतम आयु	18 वर्ष	18 वर्ष
(ii)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) – अधिकतम आयु	40 वर्ष	25 वर्ष
(iii)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)– अधिकतम आयु	45 वर्ष	25 वर्ष
(iv)	पुरूष /महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) – अधिकतम आयु	45 वर्ष	25 वर्ष
(v)	आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) – अधिकतम आयु	45 वर्ष	25 वर्ष
(vi)	पुरूष /महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) – अधिकतम आयु	45 वर्ष	25 वर्ष
(vii)	निशक्तजन आवेदकों के लिए/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा प्रभावित आवेदक	45 वर्ष	25 वर्ष

आयु सीमा से संबंधित उपरोक्त प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक दिनांक 12.05.2017 के अनुसार लागू होंगे । 45

05. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

पद का नाम	वेतनमान रु.	मूल वेतन (रूपये)	लेवल (म.प्र.शासन की मैट्रिक्स के अनुसार)
फार्मासिस्ट	19500-62000	19500	4
प्रयोगशाला तकनीशियन	25300-80500	25300	6
रेडियोग्राफर	25300-80500	25300	6
ईसीजी तकनीशियन	25300-80500	25300	6
स्टाफ नर्स	22100-70000	22100	5
एएनएम	19500-62000	19500	4
ड्रेसर	18000-56900	18000	3

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ भी नियमानुसार लागू होंगे । नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना प्रभावी होगी।

उपरोक्त वेतनमान म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. 2966/2018/तेरह दिनांक 05.04.2018 के अनुसार लागू होंगे |

06. सेवा अनुबंध सह प्रतिभू पत्र

प्रयोगशाला तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स को कंपनी में न्यनूतम तीन वर्ष की एवं, ड्रेसर एवं एएनएम को कम से कम दो वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभू पत्र निष्पादित करना होगा । सेवा अनुबंध सह प्रतिभू पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. को कुल रू. 50,000/- (पचास हजार रूपये) एवं अन्य खर्चे (यदि हो तो) देय होंगे।

07. सामान्य शर्तें

(i) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ii) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । एक उम्मीदवार एक ही पद के लिये आवेदन कर सकता है । उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा ।

(iii) ऐसे उम्मीदवार जो अंतिम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुये हैं, परन्तु उनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनका परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्होंने उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों, लिखित परीक्षा में सफल हुये उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारण करने एवं अंतिम अंक सूची प्रस्तुत करने पर ही उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जावेगा ।

(iv) उच्च/अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे विज्ञापित पद हेतु संबंधित आवश्यक अर्हता धारित करता हो, यद्यपि उच्च योग्यता/ अनुभव के आधार पर उनके द्वारा उच्च पद पर नियुक्ति हेतु किया गया कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों, उन्हें

(५५)

दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(vi) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, उक्त पद हेतु विभागीय कर्मचारी के रूप में आवेदन कर सकते हैं । विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है ।

(vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी ।

(viii) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा हेतु अधिगृहित की गई भूमि के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के उम्मीदवार यदि उक्त पदों हेतु निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हों, तो उन्हें कंपनी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत परियोजना में रोजगार देने हेतु प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को विभिन्न संवर्गों में प्राथमिकता दी जावेगी । आवेदकों को भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा (12) 2 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ix) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के भूमि प्रभावित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपने परिवार की लिखित सहमति का शपथ पत्र (एफिडेविट) जमा करना अनिवार्य होगा।

(x) उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।

(xi) नि:शक्तजनों की नियुक्ति हेतु उनके लिये आरक्षित पदों पर ही विचार किया जावेगा। नि:शक्त उम्मीदवारों को देय छूट/लाभ की पात्रता हेतु नि:शक्तता का माप न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(xii) अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

(xiii) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

(xiv) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. किसी भी समय, किसी भी स्तर पर एक या समस्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(xv) नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर में ही मान्य होगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

(xvi) ऐसे आवेदक, जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(xvii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं निशक्तजन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर नियमानुसार उनके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी का द्वितीय श्रेणी का साधारण शयन यान से यात्रा की एकल किराया राशि की, रेल या बस का वास्तविक किराया-टिकट प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जावेगी।
(वित्त विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-4/2013/नियम/4 दिनांक 13.09.2013 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 1061/1525/05/ आ.प्र./ एक दिनांक 22.11.2005 के अनुसार) |

(xviii) किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें ।

08. चयन प्रक्रिया

विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जावेगा । ऑनलाईन परीक्षा म.प्र. के चार प्रमुख शहरों अर्थात् भोपाल, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में आयोजित की जावेगी । आवश्यकता एवं प्रावीण्य सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु जबलपुर मुख्यालय आमंत्रित किया जावेगा । दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी । लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित की जावेगी, जो कि अभ्यर्थी केवल एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in से डाउनलोड करेंगे । लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक पद हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी ।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मापदण्ड

अनारक्षित एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , निशक्तजन एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के भूमि प्रभावित योग्य अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 30% कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं । ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा दसवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी । म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों तक पैनल संचालित करेगा। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित मानकों पर योग्य पाये जाते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में रखा जायेगा एवं आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिन्दुओं के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा।

09. समय तालिका

क्र.	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	15.03.2019
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	14.04.2019

उपरोक्त तिथियां म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है। प्रवेश पत्र एवं लिखित परीक्षा हेतु तिथि की जानकारी के लिए एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) का समय समय पर अवलोकन करते रहे ।

10. <u>आवेदन कैसे करें</u> :-

अ- अभ्यर्थी सीधे एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से या म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की वेबसाईट (www.mppgcl.mp.gov.in) पर दिए गए लिंक का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं ।

ब- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियाँ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-

1- जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट ।
2- आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज।
3- निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)
4- निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
5- फोटो पहचान प्रमाण पत्र ।
6- उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर ।
7- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के भूमि प्रभावित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

11. <u>आवेदन शुल्क एवं अन्य व्यय</u> : अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क (पोर्टल चार्जेस सहित) रू 1000/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं निशक्तजन उम्मीदवारों के लिए रू 600/- निर्धारित है, जो कि वापिसी योग्य नहीं है|

12. <u>महत्वपूर्ण</u> : यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी ऑलाईन/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें । इस स्रबंध में एमपी ऑलाईन/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी । यदि आवेदक समय समय पर कंपनी द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है, तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी । साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए । यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

हमारी वेबसाईट www.mppgcl.mp.gov.in का अवलोकन करते रहें ।

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर